66 (13) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 22.8.2001 के का.ज्ञा. सं. 18(10)/99 –जी एम–जीएल–33 का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के (साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र का) सभी उद्यमों और निदेशक मंडल स्तर तथा उसके निचले स्तर के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष करने के प्रस्ताव जिन्हें उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है, को अनुमोदित करने का प्राधिकार प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को प्रत्यायोजित किया गया था।

2. सरकार ने इस मसले पर पुनः विचार किया और यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों (बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों सहित) की सेवानिवृत्ति आयु फिर से वही करने का अधिकार अब मंत्रिमंडल को होगा।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उक्त निर्णयों को सूचनार्थ और अनुपालन के लिए देखें। और इसकी अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को भी जानकारी दें।

(डी पी ई का 1 अप्रैल, 2005 का का.ज्ञा.सं. 18(19)/2004 – जी एम – जीएल–62)